रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 19 फरवरी, 2004/30 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

चम्बा, 9 फरवरी, 2004

क्रमांक पंच-चम्बा-176310.—चूंकि श्री जरम सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत गडाना के विरुद्ध रास्ता निर्माण काथु खोला के निर्माण में अनियमितता पाई गई की जांच खण्ड विकास अधिकारी के पत्र संख्या 4330, दिनांक 1-12-03 द्वारा प्राप्त हुई है जिसमें जांच के उपरान्त निम्न तथ्य उनके विरुद्ध पाये गये हैं।

यह कि रास्ता निर्माण काथू खोला के निर्माण के लिए राशि 25000/- रुपये का प्रावधान शैल्फ में रखा गया तथा उक्त कार्य पर मु0 22,225/- रुपये का व्यय पंचायत अभिलेख में दर्ज है। परन्तु उक्त कार्य की पैमाईश तकनीकी सहायक की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार 16,597 रुपये की है तथा दिनांक 23-10-03 को रास्ते का मौका पर निरीक्षण के समय रास्ते पर डाला गया सिमैन्ट ताजा लग रहा था जबकि अभिलेख अनुसार कार्य मास फरवरी, 2003 को हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य का व्यय मास फरवरी, 2003 को डाला है व कार्य लगभग 9 मास के बाद करवाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त कार्य में अनियमितताएं की है तथा राशि 5628/- रुपये का दुरुपयोग किया है।

उक्त के संदर्भ में इस कार्यालय की पत्र संख्या 1550-58, दिनांक 24-12-03 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हे 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका दिया गया था । उनका उत्तर इस कार्यालय 13-1-94 को प्राप्त हुआ । उनका उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः मैं, राहुल आनंद, उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री जरम सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत गडाना को प्रधान पद से निलम्बित करता हूं । यदि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन या अन्य चल-अचल सम्पत्ति है तो उसे पंचायत के सचिव को सौपने का आदेश देता हूं ।

राहुल आनंद,
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 30 जनवरी, 2004

संख्या पी0सी0एच0 (कु0) कारण बताओ नोटिस-195-200.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू द्वारा ग्राम पंचायत भलाण-1, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं अर्थात अवधि 4/2001 से 3/2002 तक की अंकेक्षण आपत्तियों पर आधारित श्री धर्मपाल, प्रधान ग्राम पंचायत भलाण-1 को इस कार्यालय के पंजीकृत पृष्ठांकन संख्या 2277-2280 दिनांक 8 नवम्बर, 2003 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । आरोपित उक्त पंचायत पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये थे । जिसके उत्तर में श्री धर्मपाल, प्रधान, ग्राम पंचायत भलाण-1 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिनांक 19-12-2003 को उनकी टिप्पणीयों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ । खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू द्वारा दी गई टिप्पणीयों तथा सचिव ग्राम पंचायत भलाण-1 के पत्र दिनांक 20-1-2004 को जिला पंचायत अधिकारी को सम्बोधित है, के आधार पर स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए निर्धारित आरोपों की निम्न प्रकार से पुष्टि की जाती है :—

1. यह कि श्री धर्मपाल प्रधान, ग्राम पंचायत भलाण-1 द्वारा अपने पास मास 7/2002 से रु0 40240/- रुपये नकद शेष अनाधिकृत रूप से रखे गये हैं तथा बार-बार लिखने के बावजूद भी उक्त प्रधान द्वारा राशि जमा बैंक नहीं की गई और न ही इसका समायोजन किया गया ।

   आरोप के सन्दर्भ में प्रधान श्री धर्मपाल, ग्राम पंचायत भलाण-1 का यह स्पष्टीकरण कि रु0 40240/- रुपये प्राथमिक पाठशाला ढलाण के निर्माण हेतु निकाले गये थे तथा उसी समय उसकी अदायगी कर दी गई है जिसके बिल बाउचर पंचायत रिकार्ड में मौजूद है, निराधार है क्योंकि सचिव पंचायत द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 20-1-2004 तक उक्त प्रधान द्वारा न तो राशि जमा की गई और न ही राशि का समायोजन करवाया गया है । अतः राशि उक्त प्रधान से 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली योग्य है ।

2. यह कि उक्त प्रधान द्वारा दिनांक 30-3-2001 को चैक संख्या 843163 द्वारा रु0 25000/- रुपये हिमाचल ग्रामीण बैंक गड़सा से निकाले गये जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पर न करवाकर राशि का दुरुपयोग/छलहरण किया गया ।

आरोप के सन्दर्भ में उक्त प्रधान द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इस राशि में से मु0 18600/- रुपये प्राथमिक पाठशाला खोड़ाआगे के अदा किए गये क्योंकि इसकी किश्त प्राप्त नही हुई थी तथा शेष 6400/- रुपये प्राथमिक पाठशाला ढलाण के अदा किये गये हैं। प्रधान द्वारा बिना अनुदान प्राप्त हुए किसी विकास कार्य पर व्यय करना तथा विहित अधिकारी की स्वीकृति के बिना एक विकास कार्य का अनुदान दूसरे विकास कार्य पर व्यय करना अनियमित है तथा यह कहना कि बाउचर बिल मूल्यांकन के पास नहीं हैं, निराधार है क्योंकि सचिव के कथनानुसार प्रधान द्वारा दिनांक 20-1-2004 तक बिल बाउचर पंचायत में नही दिये गये हैं। प्रधान द्वारा राशि की निकासी करके इसका इन्द्राज रोकड़ बही पर न करवाकर स्पष्टतः राशि का दुरुपयोग/छलहरण किया गया है जो उनसे 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली योग्य है।

3. यह कि श्री धर्मपाल प्रधान ग्राम पंचायत भलाण-1 द्वारा कल्याण विभाग मे रसीद संख्या 12573 दिनांक 5-6-2003 के अन्तर्गत मु0 30,000/- रुपये का अनुदान बाबत निर्माण पक्का रास्ता गांव बड़ा शरण हेतु प्राप्त किया गया परन्तु अनुदान प्राप्ती व राशि को जमा बैंक करने का रोकड़ बही पर इन्द्राज न करवाकर राशि का दुरुपयोग किया गया।

आरोप के सन्दर्भ में प्रधान श्री धर्मपाल द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि राशि पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 90113 में जमा करके मु0 15,000/- रुपये की किश्त 5-6-2003 को ही उनके द्वारा प्राप्त की गई है। प्रधान द्वारा अनुदान को प्राप्त करके, जमा बैंक करने हेतु पंचायत को सूचित न करना तथा रोकड़ बही पर इन्द्राज न करवाकर पंचायत के बिना स्वीकृति के मु0 15,000 रुपये की निकासी करना स्वयंतः ही राशि के दुरुपयोग/छलहरण एवं अपने पद का दुरुपयोग करने का प्रमाण है। अतः निकासी की गई राशि आरोपित प्रधान से 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली योग्य है।

4. यह कि श्री धर्मपाल प्रधान के तीन सन्ताने होने की सूचना है (तीसरी सन्तान जून 2001 के बाद) जबकि पंचायत रिकार्ड अनुसार प्रथम व तीसरी सन्तान दर्ज पंचायत में नहीं करवाई गई है।

आरोप के सन्दर्भ में प्रधान द्वारा यह व्यक्त करना कि उन्होंने अपने बड़े भाई से लड़की गोद ली थी तथा बाद में अपनी सन्तान होने पर भाई द्वारा लड़की वापिस ले ली गई निराधार है क्योंकि आरोपित पंचायत पदाधिकारी द्वारा लड़की को गोद में लेने तथा उनके भाई द्वारा गोद में लिए गए बच्चे वापिस लेने से सम्बन्धित कोई भी कानूनी प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए गए हैं।

5. यह कि अंकेक्षण पत्र अवधि 4/2001 से 3/2002 के पैरा संख्या 5(ख) (1, 5, 12) अनुसार ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों हेतु मु0 12248.50 पैसे का अनाज अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पर आय की ओर न करके व्यय की ओर नकद शेष मे घटाकर राशि का छलहरण किया गया क्योंकि नकद शेष प्रधान के पास दर्शाया गया है।

आरोप के सन्दर्भ में प्रधान द्वारा यह तर्क देना कि जिन विकास कार्यों के बदले अनाज की अदायगी दर्शाई गई, वो कार्य अन्य पंचायत पदाधिकारियों द्वारा करवाये गये हैं, निराधार है। क्योंकि नकद शेष प्रधान के पास दर्शाया गया है अतः राशि उनसे वसूली योग्य है।

6. यह कि अंकेक्षण-पत्र अवधि 4/2001 से 3/2002 के पैरा संख्या 5(ख) (1, 8, 9, 11) अनुसार विभिन्न विकास कार्यों में प्रयोग लिए गए मस्ट्रोलों पर एक ही व्यक्ति की हाजरी एक ही समय में दो मस्ट्रोलों पर लगाकर मु0 5032/- रुपये का छलहरण किया गया है, जबकि अरोपित प्रधान द्वारा आरोप बारे दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल

प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 में निहित है, श्री धर्मपाल प्रधान, ग्राम पंचायत भलाण-1 को तत्काल प्रधान पद से जनहित में निलम्बित करता हूं और उन्हें निर्देश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन तथा चल या अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त सचिव ग्राम पंचायत के पास सौंप दें ।

आदेश द्वारा,

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 3 फरवरी, 2004

संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-902-08.—यह कि पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत रूसलाह तथा खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल से प्राप्त सूचना अनुसार श्रीमती राजिन्दा देवी सदस्य, ग्राम पंचायत रूसलाह ने अपनी दो जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 2-4-2004 को चौथी सन्तान पैदा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) की उल्लंघना की है इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-2-6, दिनांक 1-1-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

यह कि उक्त श्रीमती राजिन्दा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत रूसलाह से इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है । इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है ।

यह कि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत रूसलाह तथा विकास खण्ड अधिकारी, चौपाल की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्रीमती राजिन्दा देवी सदस्या, ग्राम पंचायत रूसलाह की चौथी सन्तान उत्पन्न हुई है । जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्त स्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुये 8-6-2001 के पश्चात अर्थात 2-4-2002 को चौथी सन्तान पैदा करके यह उक्त ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गई है ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) की उल्लंघना करने पर श्रीमती राजिन्दा देवी सदस्या, ग्राम पंचायत रूसलाह को ग्राम पंचायत सदस्य पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अनिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूसलाह के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो वह उसे तुरन्त सम्बधित ग्राम पंचायत सचिव पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत रूसलाह को सौंप दें ।

शिमला-1, 3 फरवरी, 2004

संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-909-15.—यह कि पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पुजारल तथा खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल से प्राप्त सूचना अनुसार श्री रेहम तुला सदस्य, ग्राम पंचायत पुजारली ने अपनी दो जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 17-10-2002 को चौथी सन्तान पैदा करके हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) की उल्लंघना की है इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-7-11, दिनांक 1-1-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

यह कि उक्त श्री रेहम तुला, सदस्य ग्राम पंचायत पुजारली, से इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । जबकि विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है । इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

यह कि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पुजारली तथा विकास खण्ड अधिकारी, चौपाल की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्री रेहम तुला, सदस्य, ग्राम पंचायत पुजारली की चौथी सन्तान उत्पन्न हुई है । जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुए 8-6-2001 के पश्चात् अर्थात 17-10-2002 को चौथी सन्तान पैदा करके वह उक्त ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने के लिए निरर्हित हो गई है ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) की उल्लंघना करने पर श्री रेहम तुला सदस्य, ग्राम पंचायत पुजारली को ग्राम पंचायत सदस्य पद पर बने रहने के लिए आयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पुजारली के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत पुजारली को सौंप दे ।

एस0के0वी0एस0 नेगी,
उपायुक्त शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 31 जनवरी, 2004

संख्या एसएलएन-3-83 पंच/2003-656-659.—यह कि श्री सुशील ठाकुर पुत्र श्री गीता राम ठाकुर, ग्राम बडोग, डा0 चण्डी, तहसील अर्की, जिला सोलन ने श्री गुरदास राम पुत्र श्री नजरू राम, ग्राम संधोई, डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन के विरुद्ध अपने प्रतिवेदन दिनांक 28-4-2003 के अन्तर्गत शिकायत दी थी कि श्री गुरदास राम उपरोक्त ने दिसम्बर 2000 में जिला परिषद् सदस्य दाड़ला वार्ड से चुना गया था और श्री गुरदास राम ने गांव संधोई, तहसील अर्की में सरकारी भूमि खसरा नं0-92/1, रकबा 3-15 बीघा पर अवैध कब्जा कर रखा है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार एक पंचायत पदाधिकारी के लिए अनियमित है ।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12-5-2003 को तहसीलदार अर्की को छानबीन हेतु लिखा गया था ।

तहसीलदार अर्की, जिला सोलन ने अपनी रिपोर्ट पत्र संख्या अर्की/तह0/रीडर-1/2003-76, दिनांक 29-5-2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि श्री गुरदास राम पुत्र नजरू, ग्राम संधोई, डा0 मांगू ने दिनांक 15-8-2002 को उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र भूमि के नियमितीकरण हेतु दायर किया गया है जो उनके कार्यालय पंजीकरण संख्या 1225, दिनांक 15-8-2002 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया है, जिसमें श्री गुरदास राम द्वारा खसरा नं0 92/1 रकबा भूमि 3-15 बीघा मलकीयत सामान सरकार हिमाचल प्रदेश मकबुजा मालिक व बर्तन बाशिदगान देह मुताबिक जमाबन्दी 1997-98 वाक्या मौजा संधोई पर अवैध कब्जा के नियमितिकरण हेतु प्रार्थना की है कि प्रार्थना-पत्र के सत्यापन के बारे में प्रार्थी श्री गुरदास राम द्वारा शपथ-पत्र भी साथ लगाया गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 की धारा (1) (ग) म प्रावधान है कि यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसायटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे उससे बेदखल किया गया है छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या अधिक्रान्ता न रह गया हो पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने का निर्हरित होगा।

यह कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री गुरदास राम, जिला परिषद् सदस्य वार्ड नं0-1 दाड़ला, जिला सोलन को इस कार्यालय से कारण बताओ नोटिस संख्या एसएलएन-3-83-पंच/2003, दिनांक 14-10-2003 को जारी किया गया था कि क्यों न उन्हें सरकारी भूमि पर उनके द्वारा किये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार जिला परिषद सदस्य पद हेतु अयोग्य घोषित किया जाए।

यह कि उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर जोकि राजस्व दस्तावेज सहित श्री गुरदास राम, सदस्य जिला परिषद से दिनांक 31-10-2003 को प्राप्त हुआ था को तहसीलदार अर्की को पुनः जांच हेतु भेजा गया था जिसकी जांच उपरान्त तहसीलदार अर्की ने अपनी रिपोर्ट पत्र संख्या-अर्की/तह0-रीडर/03-481, दिनांक 19-12-2003 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया है कि भूमि खसरा नं0 92/1, रकबा 3-15 बीघा मौजा संधोई में श्री गुरदास राम पुत्र श्री नजरू राम का अवैध कब्जा है जिसके नियमितीकरण के लिए उक्त श्री गुरदास राम ने आवेदन-पत्र दिनांक 15-8-2002 तहसीलदार अर्की को शपथ पत्र सहित भरकर दिया है जिसमें श्री गुरदास राम ने स्वीकार किया है कि उक्त भूमि खसरा नं0 92/1, रकबा 3-15 बीघा मौजा संधोई में उनका 1980 से अवैध कब्जा है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नं0 92/1, रकबा 3-15 बीघा सरकारी भूमि पर मौजा संधोई, तहसील अर्की में श्री गुरदास राम, सदस्य जिला परिषद् वार्ड नं0 1 दाड़ला, जिला सोलन का अवैध कब्जा है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) के प्रावधान अनुसार एक पंचायत पदाधिकारी के लिए अयोग्यता में आता है।

अतः मैं, राजेश कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, की धारा 122 (2) (II) में प्राप्त है, श्री गुरदास राम, सदस्य, जिला परिषद् वार्ड नं0 1, दाड़ला, जिला सोलन को जिला परिषद् सदस्य पद हेतु अयोग्य घोषित करता हूं

राजेश कुमार,
उपायुक्त,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित